उपायुक्त–सह– जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़

(जिला साक्षरता समिति)

– : अल्पकालीन निविदा :–

रामगढ़ जिला में साक्षर भारत योजना अन्तर्गत सर्वे प्रपत्र की छपाई कर आपूर्ति हेतु अधिकृत आपूर्तिकर्त्ताओं से नीचे अंकित शर्तो के आधार पर मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। सर्वे प्रपत्र की छपाई उपलब्ध कराने जाने वाले सर्वे प्रपत्र की छपाई समाग्रियो की सूची निम्नवत है :–

1.	सर्वे प्रपत्र	A4 साईज प्रति प्रपत्र
2	स्वयं सेवक शिक्षक विवरणी प्रपत्र	A4 साईज प्रति प्रपत्र

निविदादाता मुहरबंद लिफाफे में निविदा जिला साक्षरता समिति, नया समाहरणालय, छत्तरमाण्डू, रामगढ़ 'B Block' दुसरा तल्ला कार्यालय में दिनांक 29/12/2015 को 01:00 बजे अपराह्न तक कार्यालय अवधि में जमा करेंगे। दिनांक 02/01/2016 को 02:00 बजे अपराह्न क्रय समिति एवं अधोहस्ताक्षरी के बीच खोला जाएगा। निविदा खोलने के समय निविदादाता अथवा प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। निविदा की शर्ते वेबसाइट WWW.ramgarh.nic.in पर प्रकाशित की जा रही है।

निविदा की शर्त्ते :–

1. तकनीकी निविदा (Technical Bid)

   निविदादाता को तकनीकी (Technical Bid) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्र पृथक मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा :–

   (i) बिक्री दर/TIN निबंध प्रमाण–पत्र।

   (ii) बिक्री कर विभाग द्वारा निर्गत वित्तीय वर्ष का 2014–15 तक का बिक्री कर स्वच्छता प्रमाण–पत्र।

   (iii) आपूर्तिकत्ता/संस्थान के नाम निर्गत PAN CARD की छायाप्रति।

   (iv) निविदादाता को निविदा के साथ 10,000/– (दस हजार) रूपये का अग्रधन के रूप में बैंक ड्राफ्ट "नावा दीया" जिला साक्षरता समिति, रामगढ़ के पदनाम से संलग्न करना होगा।

2. वित्तीय निविदा (Financial Bid)

निविदादाता को वित्तीय निविदा (Financial Bid) के तहत् मुहरबंद लिफाफा में निविदा देना होगा। तकनीकी निविदा पूर्व रहने की स्थिति में ही निविदाता की वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

3. निविदा खुलने के समय निविदादाता को क्रय समिति के समक्ष परिवारिक सर्वेक्षण प्रपत्र का नमूना प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बिना नमूना के निविदा पर विचार नही किया जायेगा। निविदा स्वीकृत करने पर अनुमोदित नमूने के अनुरूप परिवारिक सर्वेक्षण प्रपत्र का आपूर्ति करनी होगी।

4. आपूर्ति किये जाने वाले पारिवारिक सर्वेक्षण प्रपत्र का नमूना जिला साक्षरता समिति, रामगढ़ के कार्यालय में जमा करना होगा।

5. नमूने से भिन्न पारिवारिक सर्वेक्षण प्रपत्र की आपूर्ति स्वीकार्य नहीं होगी तथा आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध नियम संगत कार्रवाई की जायेगी।

6. निविदा में परिवहन, हथालन सहित सभी प्रकार के कर को सम्मिलित कर दर अंकित करना होगा।

7. आदेशित परिवारिक सर्वेक्षण प्रपत्र की आपूर्ति जिला साक्षरता समिति कार्यालय, रामगढ तक पहुंचा कर करनी होगी। जिसके लिए अलग से कोई परिवहन व्यय देय नहीं होगा।

8. आपूर्तिकर्त्ता को किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नही किया जायेगा। परिवारिक सर्वेक्षण की आपूर्ति 12.01.16 तक करना अनिवार्य होगा।

9. निर्धारित समय सीमा के अन्दर परिवारिक सर्वेक्षण प्रपत्र की आपूर्ति नहीं करने पर अग्रधन जप्त कर लिया जायेगा तथा आपूर्तिकर्ता के विरूद्ध नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी।

10. निविदा को पूर्णतः/अंशतः स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, रद्द करने अथवा कार्य आदेश को निविदादाताओ के बीच विभाजित करने का पूर्ण अधिकार उपायुक्त–सह– अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति, रामगढ को होगा।

19/12/16

उपायुक्त,
रामगढ़।